

AFR



2026:AHC:54801

Reserved : March 10, 2026

Delivered : March 18, 2026

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 5820 of 2026

Committee of Management, S.M. College Chandausi and
another

.....Petitioner(s)

Versus

State of U.P. and 7 others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	: Rituvendra Singh Nagvanshi, Saurabh Tripathi, Sr. Advocate, Vinayak Mithal
Counsel for Respondent(s)	: C.S.C., Girish Kumar Yadav, Prashant Mathur

COURT NO. - 32

HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1. In present matter, initial paragraphs of this writ petition has narrated details of earlier litigation between the parties, however, for purpose of adjudication of this case, relevant facts would commence with a letter dated 19.06.2025, whereby a Special Secretary, State of U.P. has communicated Director of Higher Education, U.P. to conduct an audit of alleged financial irregularities committed by Committee of Management of S.M. College, Chandausi, petitioners before

this Court. Earlier to it, District Magistrate has submitted a report dated 02.04.2025 disclosing irregularities in sell of land of the College concerned. For reference, relevant part of it is quoted below :-

“प्रेषक,
जिलाधिकारी
सम्भल।

सेवा में,
कुलसचिव,
गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय,
मुरादाबाद।

संख्या:- 339 /ओ.एस.डी. दिनांक:- 02 अप्रैल, 2025

विषय:- अध्यक्ष राष्ट्रीय सेवा भारती जनपद सम्भल, विकास नगर बहजोई रोड, चन्दौसी (सम्भल) द्वारा एस.एम. कॉलेज, चन्दौसी, सम्भल के प्रबन्ध तंत्र द्वारा महाविद्यालय की भूमि हस्तान्तरण/विक्रय सम्बन्धी शिकायत के निस्तारण हेतु भू-अभिलेखों की जांच कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- गु.ज.वि.वि./प्रशासन/ (ए-1)/2025/223-224, दिनांक- 27.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अध्यक्ष राष्ट्रीय सेवा भारती जनपद सम्भल, विकास नगर बहजोई रोड, चन्दौसी (सम्भल) द्वारा एस.एम. कॉलेज, चन्दौसी, सम्भल के प्रबन्ध तंत्र द्वारा महाविद्यालय की भूमि हस्तान्तरण/विक्रय के सम्बन्ध में की गयी शिकायत के निस्तारण हेतु महाविद्यालय के भू-अभिलेखों का परीक्षण/जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में उप जिलाधिकारी-चन्दौसी से एस.एम. कॉलेज, चन्दौसी के भू-अभिलेखों की जांच करायी गयी। उप जिलाधिकारी-चन्दौसी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या-03/एस.टी./2025-26, दिनांक-29.03.2025 के माध्यम से अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की गयी है, जो निम्नवत है:-

"उक्त के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों की जांच की गयी। ग्राम चन्दौसी की सन् 1939 बन्दोबस्त में महाल कपासी खाता 134 गाटा सं. 11 मि. रकवा 1.61 एकड़ आबादी कॉलेज, महाल कपासी खाता सं. 136 गाटा सं. 11 मि. रकवा 1.27 एकड़ आबादी कॉलेज, महाल गुलाबी खाता संख्या 1 गाटा सं. 11 मि. रकवा 25.43 एकड़ आबादी श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी, महाल आसमानी खाता सं. 215 गाटा सं. 11 मि. रकवा 1.75 एकड़ आबादी श्याम सुन्दर मैमोरियल चन्दौसी में अंकित है।

वर्तमान एन.जेड.ए. खतौनी के अनुसार उक्त कॉलेज के नाम अंकित नम्बरान 11 मि. रकवा 10.290 हे. महाल गुलाबी खाता सं. 1 आबादी श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी, 11

मि. रकवा 0.749 हे. महाल आसमानी खाता सं. 20 आबादी एम.एम. कॉलेज चन्दौसी, 11 मि. रकवा 0.514 हे. महाल कपासी खाता सं. 32 आबादी कॉलेज, 11 मि. रकवा 0.652 हे. महाल कपासी खाता सं. 31 आबादी कॉलेज, महाल जर्द के खाता सं. 11 के गाटा सं. 170 मि./0.214 हे० पर "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" भिन्न-भिन्न महालों में एन.जेड.ए. खतौनी में अंकित है।

1939 फ. के अनुसार:-

क्र.सं.	महाल	खाता सं.	गाटा सं.	रकबा	अभ्युक्ति
1	गुलाबी	1	11 मि.	25.43 एकड़	10.290 हे.
2	आसमानी	215	11 मि.	1.75 एकड़	0.708 हे.
3	कपासी	134	11 मि.	1.61 एकड़	0.652 हे.
4	कपासी	136	11 मि.	1.27 एकड़	0.514 हे.
कुल योग			04 किता	30.06 एकड़	12.164 हे.

वर्तमान NZA खतौनी के अनुसार:-

क्र.सं.	महाल	खाता सं.	गाटा सं.	रकबा	अभ्युक्ति
1	गुलाबी	1	11 मि.	10.290 हे.	-
2	आसमानी	215	11 मि.	0.749 हे.	-
3	कपासी	134	11 मि.	0.652 हे.	-
4	कपासी	136	11 मि.	0.514 हे.	-
5	जर्द	11	170 मि.	0.214 हे.	-
कुल योग			04 किता	12.419 हे.	

महाल गुलाबी की खाता सं. 1 पर निम्नलिखित आदेश अंकित है- 1424 फ. 19, आदेश उपजिलाधिकारी महोदय चन्दौसी वाद सं. T20171374150432 अन्तर्गत धारा 32/38 यु.पी. आर.सी. 2006 शान्तनु कुमार सचिव श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज सोसाइटी बनाम सरकार ग्राम चन्दौसी के अनुसार ग्राम चन्दौसी की खतौनी एन.जेड.ए. महाल गुलाबी खाता सं. 1 गाटा सं. 11 मि./10.290 हे० एवं महाल जर्द के खाता सं. 11 के गाटा सं. 170 मि./0.214 हे० पर "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" के स्थान पर रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र संख्या 1923 एवं नवीनीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 030668 के अनुसार "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज सोसाइटी चन्दौसी" अंकित किया जाये। मालिकान नं. 3 पेज नं. 93 क्रमांक- 69 पर दर्ज है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार उपरोक्त प्रश्नगत समस्त भूमियां "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" के नाम अंकित हैं। उपरोक्त भूमिया एन.जेड.ए. की खतौनी में अंकित है, जिसपर भूमि पर उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, परन्तु उक्त उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 32/38 के अन्तर्गत "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" के स्थान "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज सोसाइटी चन्दौसी" का नाम दर्ज कर दिया गया है।

स्पष्टतः उक्त संशोधन से "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" की अनन्य भूमि पर सोसायटी को क्षेत्राधिकार प्रदान कर दिया गया है, जबकि "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" के द्वारा भूमि का सोसायटी के नाम अंतरण किये जाने का कोई विधिक आधार प्राप्त नहीं है। उक्त अंतरण के आधार पर गाटा सं. 170 मि./0.214 हे. में पृथक प्रबन्धन के अन्तर्गत लॉ कॉलेज स्थापित कर दिया गया है। सोसायटी की भूमि को सक्षम न्यायालय के आदेश से अथवा सम्बन्धित संस्थान के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर अंतरण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अहमदाबाद कसोरा तहसील बिलारी जनपद मुरादाबाद की गाटा सं. 02/3.416 हे., 71/0.259 हे., 91/0.113 हे. को "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" के स्थान पर तहसीलदार न्यायिक बिलारी के आदेश वाद सं T2017135415023669 दिनांक 24.10.2017 के द्वारा "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज सोसाइटी चन्दौसी" संशोधन किया गया और 4.282 हे. भूमि अर्थात् 68 बीघा भूमि को विभिन्न व्यक्तियों के नाम अंतरण कर दिया गया है, जिसके दाखिल खारिज का आदेश तहसीलदार बिलारी जनपद मुरादाबाद वाद सं. T20181354201218/16.05.2018 के द्वारा कर दिया गया है। इस प्रकार कॉलेज के स्वामित्व वाली भूमि को सोसायटी के नाम दर्ज कराकर व्यक्तिगत लोगों को विक्रय कर दिया गया है, इसी प्रकार ग्राम बल्लमपुर तहसील चन्दौसी जनपद सम्भल की गाटा सं. 656/0.765 हे. भूमि को "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" के स्थान पर "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज सोसाइटी चन्दौसी" के नाम करा लिया गया है।

स्पष्ट है कि यदि विद्यालय का प्रबन्धतंत्र विद्यमान है तो फिर सोसायटी के नाम अंतरण कराने का औचित्य क्या है, और उक्त अन्तरण से प्राप्त धन को किस प्रकार व्यय किया गया है। इस सम्बन्ध में शुद्ध जांच की आवश्यकता है, प्रथम दृष्टया प्रबन्धतंत्र/सोसायटी की कार्यप्रणाली संदिग्ध है।"

उक्त कॉलेज की सड़क किनारे दुकानें बनी हैं, जिसके सम्बन्ध में वर्तमान प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया है, कि उक्त दुकानें किराये पर हैं, जिसका प्रबन्धन, प्रबन्धनतंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसकी अन्य कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

अस्तु उप जिलाधिकारी-चन्दौसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपर्युक्त जांच आख्या दिनांक- 29.03.2025 समस्त संलग्नकों सहित संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह० अप०
(डा. राजेन्द्र पैसिया)
जिलाधिकारी,
सम्भल।"

2. In pursuance of above directions, Finance Controller, State of U.P. wrote a letter dated 05.08.2025 to petitioner-2 (Secretary of Committee of Management of said college) to provide details as well as answers to various queries raised therein. For reference, queries raised are mentioned hereinafter :-

"प्रेषक,
वित्त नियंत्रक (उ०शि०)
शिक्षा डिग्री आडिट अनुभाग,
उ०प्र०, प्रयागराज।
सेवा में,
प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य
एस०एम० कालेज, चन्दौसी
सम्भल।

पत्रांक: डिग्री आडिट/296 /2025-26 दिनांक- 05/08/2025
विषय: महाविद्यालय के विरुद्ध शिकायती बिन्दुओं की विशेष
सम्परीक्षा/जाँच किये जाने हेतु साक्ष्य सहित अभिलेख एवं आख्या
उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र
संख्या-I/999262/2025/70-2099/2025 दिनांक
19.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रम में शिक्षा
निदेशक (उ०शि०), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अविहित पत्रांक
डिग्री अर्थ-1/15/2025-26 दिनांक 16.07.2025 द्वारा
एस०एम० कॉलेज चन्दौसी, सम्भल में व्याप्त वित्तीय अनियमितता
के दृष्टिगत उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-
40 के विशेष सम्परीक्षा/जाँच कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

कृपया शासन एवं शिक्षा निदेशक द्वारा दिये गये उपरोक्त आदेश के
अनुपालन हेतु निम्नानुसार आख्या एवं अभिलेख उपलब्ध कराने का
कष्ट करें :-

श्याम सुन्दर मेमोरियल कालेज, चन्दौसी समिति का पंजीकरण कब
किया गया तथा अन्तिम नवीनीकरण कब किया गया है? प्रमाणित
प्रति।

श्याम सुन्दर मेमोरियल कालेज सोसायटी चन्दौसी का पंजीकरण कब
किया गया तथा अन्तिम नवीनीकरण कब किया गया है? प्रमाणित
प्रति।

श्याम सुन्दर मेमोरियल कालेज, चन्दौसी समिति के नाम से समस्त
भूमि से सम्बन्धित गाटा संख्या एवं खतौनी की प्रमाणित प्रति।

श्याम सुन्दर मेमोरियल कालेज सोसायटी चन्दौसी के नाम से
समस्त भूमि से सम्बन्धित गाटा संख्या एवं खतौनी की प्रमाणित
प्रति।

श्याम सुन्दर मेमोरियल कालेज, चन्दौसी समिति के द्वारा किस
सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किस भूमि का विक्रय किया गया
है? विक्रीत भूमि का सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रारूप पर उपलब्ध
करायें।

क्र ० सं०	भूमि की प्रकार	खाता / गाटा संख्या	विक्रय का दिनांक	विक्रेता का नाम व पता	क्रेता का नाम व पता	विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल एकड़/हेक् टेयर में	विक्रीत भूमि का मूल्य/ध नराशि	विक्रीत भूमि से प्राप्त धनराशि उपयोग/ विवरण

6. श्याम सुन्दर मेमोरियल कालेज सोसायटी चन्दौसी समिति के द्वारा किस सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किस भूमि का विक्रय किया गया है? विक्रीत भूमि का सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराये।

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	खाता / गाटा संख्या	विक्रय का दिनांक	विक्रेता का नाम व पता	क्रेता का नाम व पता	विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल एकड़/हे क्टयर में	विक्रीत भूमि का मूल्य/ धनराशि	विक्रीत भूमि से प्राप्त धनराशि उपयोग /विवरण

7. महाविद्यालय की दुकानें एवं व्यावसायिक गतिविधियां किस समिति के नाम से संचालित है, का नाम तथा किराये की धनराशि को किस कोष में जमा किया जा रहा है?

क्र० सं०	दुकानें/ व्यावसायिक गतिविधियां का नाम	अनुबन्ध की तिथि/अवधि	संचालन की तिथि	प्राप्त किराये की धनराशि (मासिक/ वार्षिक)	धरोहर की धनराशि	किराया / धरोहर धनराशि के उपयोग का विवरण

8. उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा चयनित एवं शिक्षा निदेशक द्वारा आसन्न व्यवस्था हेतु जारी किये गये आदेश का अनुपालन/कार्यभार ग्रहण कराने का विवरण निम्न प्रारूप पर साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराया जाय।

शिक्षक का नाम	आसन्न व्यवस्था के आदेश तिथि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	अभ्युक्ति

9. उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा चयनित प्राचार्य की सूची एवं उनका कार्यकाल एवं आयोग द्वारा चयनित वर्तमान प्राचार्य से प्रशासनिक कार्य किये जाने की स्थिति।

10. महाविद्यालय में आवास, पुस्तकालय, फर्नीचर, स्टेशनरी, प्रयोगशाला उपकरण की उपलब्धता का विवरण साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराया जाय

11. महाविद्यालय की समस्त चल-अचल सम्पत्तियों का मदवार लेखांकन सम्बन्धी केन्द्रीय पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति।

कृपया शासन के आदेशानुपालन में उपरोक्त बिन्दुओं पर आख्या एवं अभिलेख साक्ष्यों सहित महाविद्यालय की विशेष सम्प्रेक्षण/जाँच किये जाने हेतु विशेष वाहक के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ह० अप०
(प्रदीप कुमार)
वित्त नियंत्रक
उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०
प्रयागराज।"

3. Sri Prabhakar Awasthi, learned Senior Advocate assisted by Sri R.S. Nagvanshi, learned counsel for petitioners has submitted that a short reply was submitted to aforesaid communication on 11.08.2025 whereby certain information were sought such as a copy of complaint since an order for audit was passed on basis of a complaint, therefore, admittedly, no reply was made to above referred specific queries made by Finance Controller in letter dated 05.08.2025. Letter dated 11.08.2025 is mentioned hereinafter :-

“सेवा में,

वित्त नियंत्रक (उ०शि०),

शिक्षा डिग्री ऑडिट अनुभाग,

उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० प्रयागराज।

विषय: पत्रांक सं० डिग्री ऑडिट/296/2025-26, दिनांक 05.08.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपका पत्र पत्रांक डिग्री ऑडिट/296/2025-26, दिनांक 05.08.2025 डाक द्वारा आज दिनांक 11.08.2025 प्राप्त हुआ, जिसमें आपके द्वारा उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-I/999262/2025/70-2099/2025, दिनांक 19.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने हेतु सम्बोधित किया है तथा इसी क्रम में शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज के अविहित पत्रांक डिग्री अर्थ-1/15/2025-26, दिनांक 16.07.2025 द्वारा एस०एम० कॉलेज, चन्दौसी, सम्भल में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम

1973 की धारा 40 के विशेष सम्परीक्षा/जाँच कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

आपको अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी को उक्त दोनों वर्णित पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा इस विषय में महाविद्यालय के विरुद्ध शिकायतकर्ता का शिकायती पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया। आपके पत्र में यह दर्शाया गया है कि महाविद्यालय में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं के दृष्टिगत उक्त आख्या चाही गई है। आपके पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार की वित्तीय अनियमितताएँ महाविद्यालय में व्याप्त होना शिकायतकर्ता द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है तथा क्या उसका साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, वह हमें अप्राप्त है, जिसकी प्राप्ति के बिना जवाबदेही सम्भव नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत निम्नलिखित दस्तावेज साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराये जाने की कृपा करें, जिससे कि महाविद्यालय द्वारा अपनी सुस्पष्ट एवं तर्कसंगत आख्या प्रस्तुत की जा सके:-

शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के पत्र की प्रति, जोकि इस जाँच का मूल आधार है।

शासन के पत्र संख्या-I/999262/2025/70-2099/2025, दिनांक 19.06.2025 की प्रति।

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज के अविहित पत्रांक डिग्री अर्थ-1/15/2025-26, दिनांक 16.07.2025 की प्रति

महाविद्यालय में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं सम्बन्धित सूची।

उक्त समस्त दस्तावेज महाविद्यालय को 05 दिवस के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे की विधिपूर्ण कार्यवाही की जा सकें तथा उक्त दस्तावेज प्राप्त होने तक कोई भी प्रतिकूल कार्यवाही नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित न की जाए।

सादर

भवदीय

ह० अप०

शान्तनु कुमार

सचिव”

4. As referred above, when petitioners have failed to submit any reply to queries, the Finance Controller again communicated to petitioners by a letter dated 19.08.2025 and again sought information and asked to appoint a person so that inspection of said college be conducted in terms of Section 40 (6) of U.P. State Universities Act i.e. ‘inspection, etc. of affiliated and associated colleges’.

5. Learned Senior Advocate for petitioners further submitted that petitioners have submitted a reply to aforesaid letter on 21.08.2025, however, from bare perusal of it, it would be evident that instead of providing requisite information and appointing a person for purpose of audit inspection, counter queries were made. For reference, contents of said letter is mentioned hereinafter :-

“सेवा में,

मा० मन्त्री महोदय, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन लखनऊ।

श्रीमान प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।

श्रीमान विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 उ०प्र० शासन लखनऊ।

श्रीमान शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।

संदर्भ: पत्रांक आडिट डिग्री/379/2025-26 दिनांक 19.08.2025 वित्त नियन्त्रक उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज।

महोदय,

उक्त पत्र का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक विहीन शिकायत श्रीमती मेघा गुप्ता, सभासद वार्ड नं० 3 चन्दौसी द्वारा मा० उच्च शिक्षा मन्त्री महोदय लखनऊ को प्रेषित की गयी। जिस पर उनके द्वारा सामान्य शिकायत निस्तारण प्रक्रिया के तहत जाँच कराये जाने हेतु निर्देश श्रीमान प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा महोदय को पारित किये गये। जिस पर श्रीमान शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज द्वारा दिनांक 05.06.2025 के उ०प्र० शासन के अज्ञात पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरी के महा विद्यालय की किसी अज्ञात जाँच जो जिलाधिकारी महोदय सम्भल द्वारा सम्पादित की जानी प्रदर्शित की गयी है उसको आधार बनाकर अधोहस्ताक्षरी के महा विद्यालय का उ०प्र० राज्य विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 40 खण्ड-2 के प्रावधानों के विपरीत सुनवाई का कोई अवसर अधोहस्ताक्षरी के महाविद्यालय का आडिट कराये जाने का आदेश पारित किया गया है। जो अधोहस्ताक्षरी के महाविद्यालय के महाविद्यालय के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश है जिसका न्यायिक दृष्टि से पुनः अवलोकन किया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि उक्त प्रकरण में केवल शिकायतकर्ता द्वारा आरोप अंकित किये गये हैं। जिन आरोपों को ना तो शपथ पत्र से समर्थित भी नहीं किया गया है और आरोप में वर्णित बिन्दु के समर्थन में क्या साक्ष्य शासन व आप महोदयगण के समक्ष प्रस्तुत किये गये उसका भी कोई विवरण अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा यहाँ पर जो आरोप शिकायतकर्ता के द्वारा अध्यारोपित किये जा रहे हैं, उसकी आन्तरिक पृष्ठभूमि में वास्तविक तथ्यों का अवलोकन किया जाना न्यायिक दृष्टि से अति आवश्यक है। जिस पर ध्यान न देकर कतई गलत रूप से उक्त विशेष आडिट का आदेश पारित किया गया है। महोदय निम्न बिन्दु जोकि उक्त शिकायत पत्र पर अधोहस्ताक्षरी की

प्राथमिक आपत्ति है उसके आलोक में उक्त एक पक्षीय आडिट के निर्णय दिनांक 19.06.2025 निर्णय सं० आई/999262/2025/70-2099/137/2025 के द्वारा जो निर्णय विशेष आडिट कराये जाने का पारित किया गया है उस पर शासन के स्तर से पुनः विचार किया जाना एवं उ०प्र० राज्य विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 40 खण्ड-2 के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध में यदि शासन को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर विचार करने से पूर्व शासन को विधि अनुसार अधोहस्ताक्षरी को नोटिस जारी करके उसका पक्ष की सुनवाई की जानी आवश्यक प्रावधान है। जिससे स्पष्ट है कि शासन द्वारा उक्त विशेष आडिट का आदेश पारित करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी को सुनवाई का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है, केवल रंजिशन और दबाव बनाने की मनोवृत्ति व भ्रष्टाचारी द्वारा स्वयं व अपने भाई आकाश गुप्ता जिसके द्वारा महाविद्यालय में लाखों रुपये की वोकेशनल कोर्स की प्रैक्टिकल प्रश्नावलीयों के माध्यम से छात्र-छात्राओं से धन उगाही की गयी उनको संरक्षण देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जोकि न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है।

प्रार्थना

अतः माननीय महोदयगण से प्रार्थना है कि एक पक्षीय आडिट के निर्णय दिनांक 19.06.2025 निर्णय सं० आई/999262/2025/70-2099/137/2025 के द्वारा जो निर्णय विशेष आडिट कराये जाने का पारित किया गया है उस पर शासन के स्तर से निरस्त कर उ०प्र० राज्य विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 40 खण्ड-2 के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध में यदि शासन को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर विचार करने से पूर्व शासन को विधि अनुसार अधोहस्ताक्षरी को नोटिस जारी करके उसका पक्ष की सुनवाई की जानी आवश्यक प्रावधान का अनुपालन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

विशेष प्रार्थना

जब तक उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण न हो तब तक उक्त आडिट की कार्यवाही को स्थगित करने के निर्देश श्रीमान वित्त नियन्त्रक, उच्च शिक्षा महोदय, प्रयागराज को जारी करने की कृपा करें।"

"सेवा में,

1. मा० मन्त्री महोदय, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन लखनऊ
2. श्रीमान प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ
3. श्रीमान विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 उ०प्र० शासन लखनऊ
4. श्रीमान शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज

संदर्भ: पत्रांक डिग्री आडिट / 379/2025-26 दिनांक 19.08.2025 वित्त नियन्त्रक उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज।

महोदय,

निवेदन है कि हमारे पूर्व प्रत्यावेदन पत्र दिनांक 21.08.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें निवेदन किया गया था कि :-

उक्त पत्र का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक बिहीन शिकायत श्रीमती मेघा गुप्ता, सभासद वार्ड नं० 3 चन्दौसी द्वारा मा० उच्च शिक्षा मन्त्री महोदय लखनऊ को प्रेषित की गयी। जिस पर उनके द्वारा सामान्य शिकायत निस्तारण प्रक्रिया के तहत जाँच कराये जाने हेतु निर्देश श्रीमान प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा महोदय को पारित किये गये। जिस पर श्रीमान शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज द्वारा दिनांक 05.06.2025 के उ०प्र० शासन के अज्ञात पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरी के महाविद्यालय की किसी अज्ञात जाँच जो मा० जिलाधिकारी महोदय सम्भल द्वारा सम्पादित की जानी प्रदर्शित की गयी है उसको आधार बनाकर अधोहस्ताक्षरी के महाविद्यालय का उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 40 खण्ड-2 के प्रावधानों के विपरीत सुनवाई का कोई अवसर अधोहस्ताक्षरी के महाविद्यालय का आडिट कराये जाने का आदेश पारित किया गया है। जो अधोहस्ताक्षरी के महाविद्यालय के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश है जिसका न्यायिक दृष्टि से पुनः अवलोकन किया जाता अति आवश्यक है। क्योंकि उक्त प्रकरण में केवल शिकायतकर्ता द्वारा आरोप अंकित किये गये हैं। जिन आरोपों को ना तो शपथ पत्र से समर्थित भी नहीं किया गया है और आरोप में वर्णित बिन्दु के समर्थन में क्या साक्ष्य शासन व आप महोदयगण के समक्ष प्रस्तुत किये गये उसका भी कोई विवरण अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा यहाँ पर जो आरोप शिकायतकर्ता के द्वारा अध्यारोपित किये जा रहे हैं, उसकी आन्तरिक पृष्ठभूमि में वास्तविक तथ्यों का अवलोकन किया जाना न्यायिक दृष्टि से अति आवश्यक है। जिस पर ध्यान न देकर कतई गलत रूप से उक्त विशेष आडिट का आदेश पारित किया गया है।

जिसको निरस्त करके अधोहस्ताक्षरी को अपना पक्ष रखने, सुनवाई कराने, जबाब देही व स्पष्टीकरण का अवसर न्यायहित में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किया जाना अति आवश्यक है।

महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु

1. यह कि उक्त प्रकरण में जो शिकायत मेघा गुप्ता सभासद द्वारा की गयी है वह साक्ष्य विहीन व शपथपत्र विहीन है।
2. यह कि मेघा गुप्ता का कोई सम्बन्ध महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति से नहीं है और न ही यह उसकी सदस्य है तथा इसके अतिरिक्त मेघा गुप्ता न तो महाविद्यालय की शिक्षिका या शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में से है। अथवा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं से नहीं है।
3. यह कि उ०प्र० सरकार के शासनादेश सं० 13/1/97-का-1/1997 दिनांक 09 मई 1997 एवं उसके अनुपालन में जारी पत्र दिनांक 29.01.2024 कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र सं० 1/2024/63/47-का-1-2024-13(1)/1997 के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किये गये हैं कि किसी भी मा० सांसद व विधायकों के अतिरिक्त केवल निकाय के अध्यक्षों को विशिष्ट

व्यक्तियों में परिगणित किया जायेगा तथा किसी अन्य शिकायतकर्ता के शिकायत पत्र को शिकायतकर्ता से शपथ पत्र प्राप्त करते हुए शिकायतकर्ता से समुचित साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जायेगी तत्पश्चात ही निर्णय लिया जायेगा। परन्तु उक्त प्रकरण में कोई भी ना तो साक्ष्य लिया गया ना ही साक्ष्य सकलित करने का प्रयास किया गया ना ही शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत को शपथ पत्र के माध्यम से पुष्ट किया गया। इस कारण उक्त शिकायत आईन आफ लॉ कार्यवाही हेतु संधारणीय भी नहीं थी। जिस पर एक पक्षीय निर्णय लेकर शासन ने न्यायिक व शासनादेशों की अवहेलना की है।

4. यह कि अधोहस्ताक्षरी महा विद्यालय को कोई भी पत्र शासन द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत के बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जवाबदेही का उक्त निर्णय से पूर्व नहीं जारी किया गया। समस्त कार्यवाही एक पक्षीय है।
5. यह कि मा० जिलाधिकारी महोदय, सम्भल की जिस अज्ञात रिपोर्ट का वर्णन निदेशक के पत्र में किया जा रहा है, जोकि तथाकथित श्री जी०पी० यादव अध्यक्ष, राष्ट्रीय सेवा भारती, चन्दौसी जनपद सम्भल की फर्जी रिपोर्ट के आधार पर शिकायत की गई, वह जाँच रिपोर्ट स्वतः ही मा० उच्च न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा में दी गयी है। क्योंकि मा० उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी सम्भल को याचिका सं० 11956/25 में न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा में दी गयी है। क्योंकि मा० उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी सम्भल को याचिका सं० 11956/25 में दिनांक 15.05.2025 को उनके द्वारा किसी भी प्रकार की जाँच नोटिस दिनांक 04.04.2025 के अनुक्रम में कहने से निषिद्ध किया था। जिसके पश्चात भी यदि कोई जाँच रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तो वह पूर्णतया विधिक दृष्टि से शून्य है और केवल जिलाधिकारी महोदय, सम्भल द्वारा दबाव बनाने की मनोवृत्ति से प्रेषित की गयी है जिसका संज्ञान बिना स्पष्टीकरण के लिया जाना विधिक दृष्टि से अनुचित है।
6. यह कि उक्त प्रकरण में जिन बिन्दुओं पर आडिट करने हेतु आदेश पारित किये गये हैं, उन्हीं बिन्दुओं पर पूर्व में वर्ष 2015-16 से 2018-19 में आडिट जोकि उच्च शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय उ०प्र० प्रयागराज द्वारा दिनांक 14.06.2021 को समस्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए अपने पत्र पत्रांक डिग्री-आडिट/79/2021-22 दिनांक 14.06.2021 के द्वारा समस्त आपत्तियों को विलुप्त करते हुए आडिट आख्या स्वीकार की है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि महा विद्यालय में किसी प्रकार का कोई वित्तीय अनियमितता स्थापित नहीं है।
7. यह कि तत्पश्चात पुनः अग्रिम वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक का आडिट के उपरान्त दिनांक 17.06.2025 को पत्रांक डिग्री आडिट/228-230 के द्वारा समस्त आडिट आपत्तियों निस्तारित करते हुए आडिट आख्या स्वीकार की गयी है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि महाविद्यालय में किसी प्रकार का कोई वित्तीय अनियमितता स्थापित नहीं है।
8. यह कि शासन द्वारा उक्त दोनों आडिट आख्याओं को नजरअंदाज करके अविधिक रूप से जो विशेष आडिट का आदेश पारित किया है। वह न्यायिक दृष्टि से अनुचित है क्योंकि विधि का स्थापित नियम है कि जब एक प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सक्षम विधि का संज्ञान लेकर विधि अनुसार आख्या उपरान्त निर्णय पारित कर

दिया जाता है तो उनको अपने निर्णय का पुनः अवलोकन करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त प्रकरण में शिक्षा निदेशक द्वारा विधितयः जब एक बार आडिट आख्यायें स्वीकार कर ली गयी तो फिर उनमें कोई भी अधिकार पुनः आडिट कराये जाने का विधिक दृष्टि से प्राप्त नहीं है।

9. यह कि उक्त प्रकरण में जो विशेष आडिट का आदेश मात्र शिकायत के आधार पर जारी किया गया है वह पूर्णतया महा विद्यालय के प्रबन्ध तन्त्र की गरिमा व प्रतिष्ठा को धूमिल करने की रणनीति के तहत प्राप्त किया गया है क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आडिट के आदेश की एक प्रति जिस पर पत्रांक सं० व दिनांक भी अंकित नहीं था, वह अधोहस्ताक्षरी को पत्र प्राप्त करने से पूर्व ही सोशल मीडिया, फेसबुक व स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी गयी थीं। जिससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता का मकसद केवल अपने व अपने भाई आकाश गुप्ता जो कि महाविद्यालय के वोकेशनल कोर्स की प्रैक्टिकल पत्रावलियों के निर्माण में लाखों रूप से की धन उगाही का अभियुक्त है उसको संरक्षण देना और प्रबन्ध तन्त्र द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही में दबाव बनाकर व्यवधान उत्पन्न करना है।
10. यह कि यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि महाविद्यालय का प्रबन्ध तन्त्र किसी प्रकार की ऑडिट को विरोध नहीं करता परन्तु जो अविधिक प्रक्रिया उक्त प्रकरण में अपनाई गयी है वह पूर्णतया अनियमित एवं दोषपूर्ण है जिसका हम पूर्ण विधिक रूप से विरोध करते हैं और उक्त निर्णय को निरस्त करने का निवेदन करते हैं।

प्रार्थना

अतः माननीय महोदयगण से प्रार्थना है कि अधोहस्ताक्षरी के प्रत्यावेदन दिनांक 21.08.2025 एवं उक्त अनुस्मारक प्रत्यावेदन का संज्ञान लेते हुए एक पक्षीय आडिट के निर्णय दिनांक 19.06.2025 निर्णय सं० आई/999262/2025/70-2099/137/2025 के द्वारा जो निर्णय विशेष आडिट कराये जाने का पारित किया गया है उस पर शासन के स्तर से निरस्त कर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 40 खण्ड-2 के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध में यदि शासन को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर विचार करने से पूर्व शासन को विधि अनुसार अधोहस्ताक्षरी को नोटिस जारी करके उसका पक्ष की सुनवाई की जानी आवश्यक प्रावधान का अनुपालन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

विशेष प्रार्थना

जब तक उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण न हो तब तक उक्त आडिट की कार्यवाही को स्थगित करने के निर्देश श्रीमान वित्त नियन्त्रक, उच्च शिक्षा महोदय, प्रयागराज को जारी करने की कृपा करें

भवदीय (ह० अप०)

शान्तनु कुमार

सचिव एस०एम० कॉलेज चन्दासी

Secretary S.M. College CHANDAUSI"

6. In pursuance of above, an audit team was constituted by an order dated 25.08.2025 by the Finance Controller, State of U.P. The respondents by way of instructions has brought on record that petitioners have not cooperated and even an audit team was not allowed to make inspection dated 02.09.2025 rather despite no interim order was in operation and a threat of contempt was extended by the petitioners. A 3 Members' Committee report dated 10.09.2025 on audit inspection is quoted below :-

“एस०एम० कालेज, चन्दौसी की विशेष सम्परीक्षा/जाँच आख्या

शासन के पत्र संख्या- I/999262/2025/70-2099/137/2025 दिनांक 19.06.2025 एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्रांक-डिग्री आडिट/409/2025-26 दिनांक 25.08.2025 एवं पत्रांक-डिग्री आडिट/440/2025-26 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा गठित विशेष सम्प्रेक्षण दल दिनांक 02.09.2025 को पूर्वाह्न 10:25 बजे सम्प्रेक्षण हेतु एस०एम० कालेज, चन्दौसी सम्बल में उपस्थित हुए। सम्प्रेक्षण दल की विशेष सम्परीक्षा/जाँच आख्या निम्नवत् है :-

1. शासन के पत्र संख्या- I/999262/2025/70-2099/2025 दिनांक 19.06.2025 के द्वारा निदेशालय के अविहित पत्रांक-डिग्री अर्थ-1/15/2025-26 दिनांक 16.07.2025 के अनुपालन में निदेशालय के पत्रांक-डिग्री आडिट/295/2025-26 दिनांक 05.08.2025 के अनुपालन में एस०एम० कालेज चन्दौसी, सम्बल की विशेष सम्परीक्षण/जाँच किये जाने के सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्रबन्धक/प्राचार्य से 11 बिन्दुओं पर वाँछित सूचना/अभिलेखों की मांग की गयी थी (छायाप्रति संलग्न)।

2. महाविद्यालय के सचिव ने निदेशालय के पत्रांक-डिग्री आडिट/295/2025-26 दिनांक 05.08.2025 के क्रम में अपने पत्रांक SMC/MC/297/2025-26 दिनांक 11.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा 04 बिन्दुओं पर साक्ष्यों सहित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में निदेशक, उच्च शिक्षा के अनुमोदनोपरान्त निदेशालय के पत्रांक-डिग्री आडिट/379/2025-26 दिनांक 19.08.2025 द्वारा 04 बिन्दुओं पर वाँछित अभिलेख उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर वाँछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर आख्या एवं अभिलेख साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं (छायाप्रति संलग्न), किन्तु प्रबन्धक/प्राचार्य द्वारा वाँछित सूचना/अभिलेख अद्यतन सम्प्रेक्षण दल को अप्राप्त है।

3. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या पत्रांक-डिग्री आडिट/409/2025-26 दिनांक

25.08.2025 द्वारा एस०एम० कालेज, चन्दौसी सम्भल की विशेष सम्परीक्षा/जाँच हेतु सम्प्रेक्षण दल का गठन करते हुए दिनांक 02.09.2025 से 04.09.2025 तक सम्परीक्षा किये जाने के सम्बन्ध में पत्रांक-डिग्री आडिट/440/2025-26 दिनांक 01.09.2025 द्वारा पर्यवेक्षण अधिकारी को नामित कर पत्रांक-डिग्री अर्थ-1/2057/ 2025-26 दिनांक 01.09.2025 द्वारा महाविद्यालय को सम्प्रेक्षण दल को विशेष सम्प्रेक्षण / जाँच में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिये गये (छायाप्रति संलग्न)।

4. सम्प्रेक्षण दल के सभी सदस्य महाविद्यालय में सम्परीक्षण की निर्धारित दिनांक 02.09.2025 को उपस्थित होकर सम्प्रेक्षण से सम्बन्धित वाँछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 02.09.2025 को आडिट मेमो-01 दिये जाने के सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ० हेमन्त कुमार के महाविद्यालय में तत्समय उपस्थित न होने के कारण उनके दूरभाष संख्या-7830337303 पर सम्प्रेक्षण दल के वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा सम्प्रेक्षण कार्य से सम्बन्धित आडिट मेमो के सम्बन्ध में वार्ता के क्रम में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वह दिनांक 02.09.2025 को अवकाश पर हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य के प्रभार की स्थिति के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई स्पष्ट रूप से पर्यवेक्षण अधिकारी को अवगत नहीं कराया गया, जिससे सम्प्रेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा था, इसकी सूचना पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दूरभाष से एवं आडिट मेमो-02 दिनांक 02.09.2025 द्वारा शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज एवं वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली को उक्त परिस्थितियों से अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया (छायाप्रति संलग्न)।

5. डॉ० जाकिर हुसैन उपाध्यक्ष-प्रबन्ध समिति, एस०एम० कालेज, चन्दौसी ने शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज को सम्बोधित पत्र SMC / 375 / 2025-26 दिनांक 02.09.2025 को सम्प्रेक्षण दल को प्राप्त कराया, जिसमें यह उल्लेख है कि उपरोक्त विषयक में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका रिट C-30051 / 2025 दिनांक 01.09.2025 को मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सुनवाई कर प्रकरण का संज्ञान लिया जा चुका है तथा आपके अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में उत्तर देने हेतु काउन्टर के लिए समय मांगा है, जिसमें मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उनको चार सप्ताह का समय जवाब/काउन्टर दाखिल करने हेतु दिया गया है तथा अग्रिम तिथि 12.11.2024 नियत है (मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.2025 की प्रति संलग्न है)।

6. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज एवं पर्यवेक्षण अधिकारी के द्वारा प्रभारी प्राचार्य, डॉ० नरेन्द्र कुमार शर्मा से दूरभाष पर वार्ता के क्रम में प्रभारी प्राचार्य सायं 6:10 बजे महाविद्यालय में उपस्थित हुए। सम्परीक्षा दल द्वारा दिये गये आडिट मेमो-01 दिनांक 02.09.2025 की प्राप्ति पर डॉ० नरेन्द्र कुमार शर्मा, इंचार्ज प्राचार्य/एसो०प्रो०-गणित विभाग, एस०एम० कालेज, चन्दौसी, सम्बल द्वारा श्री अनुज चौहान एस०आई०, सम्बल, पी०एस० चन्दौसी की उपस्थिति में यह टिप्पणी अंकित करते हुए "आज दिनांक 02.09.2025 को समय लगभग 10:25 प्रातः पर महाविद्यालय में सम्प्रेक्षणगण तीन सदस्यीयगण श्री तेज बहादुर

सिंह, श्री प्रदीप सिंह, श्री विनय मंगलानी उपस्थित हुए, परन्तु उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट संख्या 30051/2025 विचाराधीन है, जिस कारण सम्प्रेक्षण दल को सम्प्रेक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती/नहीं कराया जा सकता, आज महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य डॉ० हेमन्त कुमार अवकाश पर हैं, उक्त रिट याचिका में अग्रिम सुनवाई तिथि 12.11.2025 है।" प्राचार्य एवं प्रबन्धक की आडिट मेमो-01 की मूल प्रति प्राप्त किया। सम्परीक्षा दल के पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज महोदय को सम्पूर्ण स्थिति से आडिट मेमो-03 दिनांक 02.09.2025 से अवगत कराते हुए उनके द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्प्रेक्षण दल महाविद्यालय की विशेष सम्परीक्षा/जाँच किये बिना मुख्यालय वापस आ गया।

अभियुक्ति

शासन के पत्र संख्या-I/999262/2025/70-2099/137/2025 दिनांक 19.06.2025 एवं निदेशालय के अविहित पत्रांक डिग्री अर्थ-1/15/2025-26 दिनांक 16.07.2025 एवं निदेशालय के डिग्री आडिट के पत्रांक 409/2025-26 दिनांक 25.08.2025 एवं उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा, 40(1) एवं (6) के अन्तर्गत की गई। उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा, 40(1) एवं (6) निम्नवत् प्रावधान है :-

40(1) "राज्य सरकार को किसी भी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय जिसमें, प्रयोगशालाएँ तथा उसके उपकरण सम्मिलित हैं और उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं, अथवा किये गये शिक्षण एवं अन्य कार्य का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निदेशित करें, निरीक्षण कराने अथवा उस महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त के सम्बन्ध में किसी भी मामले के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार प्राप्त होगा।

40(6) " राज्य सरकार किसी भी समय उस निरीक्षण या जाँच के सम्बन्ध में सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति अथवा प्राचार्य से किसी भी सूचना को मांग सकेगी।"

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एस०एम० कालेज, चन्दौसी सम्भल की विशेष सम्परीक्षा/जाँच हेतु उपरोक्त प्राविधान के आलोक में महाविद्यालय से इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एवं सम्प्रेक्षण दल द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना अभिलेख/साक्ष्य सहित मांगी गयी, किन्तु महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विशेष सम्परीक्षा/जाँच से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/साक्ष्य सम्प्रेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण एस०एम० कालेज, चन्दौसी सम्भल की विशेष सम्परीक्षा/जाँच सम्पादित नहीं की जा सकी।

आख्या सेवा में प्रेषित है।

(विनय मंगलानी) (प्रदीप सिंह) (तेज बहादुर सिंह)

लेखाकार(उ०शि०) वरिष्ठ लेखा परीक्षक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/

(उ०शि०) पर्यवेक्षण अधिकारी(उ०शि०) "

7. It was brought on record that Committee of Management of college concerned has conducted a fresh election on 05.10.2025 whereby petitioner-2 was elected as Secretary and its papers were send to office of Vice Chancellor of University which was later on rejected.

8. The Special Secretary, Higher Education, State of U.P. issued an Office Memorandum dated 30.10.2025, whereby a notice under Section 58(1) of State Universities Act was issued. Its contents are mentioned below :-

“उ०प्र०

उच्च शिक्षा अनुभाग-2,

सं०-1/1128633/2025/70-2099/208/2025

लखनऊ: दिनांक- 30.10.2025

कार्यालय ज्ञाप

कुलपति, गुरु जम्भेश्वर वि०वि०, मुरादाबाद के पत्र सं०- गु०ज०वि०वि०/प्रशासन/ (ए-1)/2025/1074-1079 दिनांक 24.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय सेवा भारती के पत्र दिनांक 25.03.2025 में एस०एम० कालेज, चन्दौसी की प्रबन्ध समिति द्वारा महाविद्यालय की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करने, महाविद्यालय परिसर को निजी आय के स्रोत के रूप प्रयोग करने एवं प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु जिलाधिकारी, सम्भल को विश्वविद्यालय के पत्रांक गु०ज०वि०वि०/प्रशासन/ (ए-1)/2025/223-224 दिनांक 27.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

2- उक्त के क्रम में जिलाधिकारी, सम्भल के पत्र सं०- 339/ओ०एस०डी० दिनांक 2 अप्रैल, 2025 की भू-अभिलेखों की जांच सम्बन्धी रिपोर्ट में महाविद्यालय का टाइटल परिवर्तित करने एवं कालेज की भूमि एस०एम० लॉ कालेज (स्व-वित्त पोषित) को हस्तान्तरित किये जाने एवं 4.282 हे० भूमि व्यक्तियों को हस्तान्तरण किये जाने का उल्लेख है। साथ ही प्रबंध तंत्र के विरुद्ध शैक्षणिक, प्रशासनिक वित्तीय अनियमितताओं की नित्य प्राप्त हो रही शिकायतों के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय में की जा रही सुनवाई में प्रबन्ध समिति के असहयोगात्मक रवैये के दृष्टिगत उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-58 के अन्तर्गत महाविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने हेतु प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

3- जिलाधिकारी, सम्भल के पत्र दिनांक 02.04.2025 द्वारा कुलसचिव, गुरु जम्भेश्वर वि०वि०, मुरादाबाद को प्रेषित जांच

आख्या में उल्लिखित है कि महाविद्यालय के स्वामित्व वाली भूमि को सोसायटी के नाम दर्ज कराकर व्यक्तिगत लोगों को विक्रय कर दिया गया है। जिलाधिकारी, सम्भल के उक्त पत्र में यह भी उल्लिखित है कि यदि महाविद्यालय का प्रबन्धन विद्यमान है तो फिर सोसायटी के नाम अंतरण किये जाने का औचित्य क्या है और उक्त अंतरण से प्राप्त धन को किस प्रकार व्यय किया गया है, के संबंध में वृहद जांच की आवश्यकता है तथा प्रथम दृष्टया प्रबन्धतंत्र/सोसाइटी की कार्यप्रणाली को संदिग्ध माना है।

4- इसी प्रकार एस०एम० कालेज, चन्दौसी की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध प्राप्त हो रही वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के संबंध में निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.05.2025 द्वारा शासन से उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-40 के अन्तर्गत महाविद्यालय में विशेष ऑडिट किये जाने की अनुमति मांगी गयी। तत्क्रम में शासन के पत्र सं०-आई/999262/2025/70-2099/137/2025 दिनांक 19.06.2025 द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज को महाविद्यालय के विशेष आडिट की अनुमति प्रदान की गयी।

निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज के पत्र सं० डिग्री अर्थ-1/2109/2025-26 दिनांक 03.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) एवं पत्र सं० डिग्री अर्थ -1/2225/2025-26 यह दस्तावेज़ एस०एम० कालेज, चन्दौसी के विरुद्ध चल रही विशेष सम्परीक्षा (Audit) और हाईकोर्ट में लंबित याचिका से संबंधित रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पृष्ठ पर अंकित संपूर्ण पाठ का निष्कर्षण दिया गया है:

दिनांक 11.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष आडिट हेतु वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा महाविद्यालय प्रबंध तंत्र से पत्र सं०-डिग्री आडिट/295/2025-26 दिनांक 05.08.2025 एवं पत्र सं०-डिग्री आडिट/379/2025-26 दिनांक 19.08.2025 द्वारा कतिपय अभिलेखों की मांग की गयी परन्तु महाविद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा वांछित अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया गया। तदोपरांत निदेशालय के पत्र सं०-डिग्री आडिट/409-415/2025-26 दिनांक 25.08.2025 द्वारा दिनांक 02.09.2025 से 04.09.2025 तक महाविद्यालय के स्थलीय जाँच का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। विशेष आडिट टीम की आख्या दिनांक 11.09.2025 के अनुसार दिनांक 02.09.2025 को निर्धारित तिथि पर स्थलीय जाँच हेतु विशेष आडिट टीम महाविद्यालय में उपस्थित हुई परन्तु महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विशेष सम्प्रेक्षण जाँच से संबंधित कोई भी अभिलेख/साक्ष्य सम्प्रेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण प्रश्रुत महाविद्यालय की विशेष सम्प्रेक्षण जाँच संपादित नहीं की जा सकी तथा महाविद्यालय प्रशासन के पत्र दिनांक 02.09.2025 द्वारा प्रकरण मा० न्यायालय से आच्छादित होने के कारणवश जाँच में असमर्थता व्यक्त की गयी।

महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र द्वारा विशेष सम्प्रेक्षण जाँच के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं०-रिट सी-30051/2025 प्रबंध तंत्र एस०एम० डिग्री कालेज बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसमें दिनांक 01.09.2025 को सुनवाई में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश का संगत अंश निम्नवत है:-

"...5. Let him file counter affidavit within four weeks.

6. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within two weeks thereafter. 7. List this case on 12.11.2025"

6- प्रश्नगत प्रकरण में निदेशालय द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि एस०एम० कालेज, चन्दौसी की प्रबंध समिति द्वारा विशेष सम्प्रेक्षण में अनवरत निदेशालय द्वारा प्रेषित विभिन्न पत्रों के क्रम में अभिलेख प्रस्तुत न करना, जो राज्य वि०वि० अधिनियम-1973 की धारा-40(1) से 40 (6) अंतर्गत बाध्यकारी है तथा समिति की स्थलीय जांच अवधि में सहयोग प्रदान न करते हुए मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-सी०/30051/2025 में पारित आदेश आदेश-01/09/2025 के आलोक में प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण जांच से मना किया जाना समीचीन नहीं है क्योंकि उक्त याचिका में मा० न्यायालय द्वारा विशेष सम्प्रेक्षण जांच किये जाने में किसी प्रकार की रोक/स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

7- उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, सम्भल के कार्यालय आदेश दिनांक 04.04.2025 द्वारा महाविद्यालय की प्रबंध समिति के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता, संस्था की संपत्तियों को बेचने एवं उनका दुरुपयोग करने आदि संबंधी शिकायतों की जांच हेतु अपर जिलाधिकारी, सम्भल की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, परंतु महाविद्यालय प्रबंध समिति द्वारा उक्त जांच के विरुद्ध "भा. चूंकि महाविद्यालय एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय है, जो उ०प्र० राज्य वि०वि० अधिनियम-1973 की धाराओं से संचालित होती है, अतः जिलाधिकारी, सम्भल को महाविद्यालय की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, के आधार पर मा० न्यायालय में रिट याचिका संख्या-11356/2025 प्रबंध सामंत एस०एम० कालेज चंदौसी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसमें सुनवाई के पश्चात मा० न्याय लय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2025 का संगत अंश निम्नवत हैं:-

".....Sri R.P. Tiwari, learned Standing Counsel placed instructions on record. From the instructions he could not point out any provision of law which confers power upon the District Magistrate to conduct an enquiry in the affairs of the College.

Since the controversy in hand is covered by the judgment of this Court in Krishna Nand Singh Vs. State of U.P. and others reported in 2022 (6) ADJ 585, therefore, the impugned order cannot be sustained in law. The impugned order dated 04.04.2025 is set aside.

Accordingly, the writ petition is allowed."

8- जिलाधिकारी, संभल के पत्र दिनांक 04.04.2025 द्वारा महाविद्यालय के भूमि अवैध रूप से क्रय-विक्रय की जांच को

महाविद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा मा० न्यायालय में रिट याचिका संख्या-11356/2025 प्रबंध समिति एस०एम० कालेज चंदौसी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में इस आधार पर चुनौती दी गयी कि चूंकि महाविद्यालय एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय है, जो उ०प्र० राज्य वि० वि० अधिनियम-1973 की धाराओं से संचालित होती है, अतः जिलाधिकारी, संभल को महाविद्यालय के गतिविधियों में हस्तक्षेप ना करने दिया जाये। इसी प्रकार जब शासन द्वारा महाविद्यालय के विरुद्ध प्राप्त वित्तीय अनियमितता की शिकायत के क्रम में उ०प्र० राज्य वि० वि० अधिनियम-1973 की धारा-40 के अन्तर्गत विशेष सम्प्रेक्षण जांच की अनुमति प्रदान की गयी तो भी महाविद्यालय प्रबंधनतंत्र द्वारा पुनः मा० न्यायालय में एक अन्य वाद योजित करते हुए निदेशालय द्वारा गठित विशेष ऑडिट टीम की जांच ऑडिट नहीं करने दिया गया, जबकि मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2025 को हुई सुनवाई में उक्त ऑडिट पर रोक लगाये जाने के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र द्वारा निरंतर शासकीय आदेशों की अवहेलना करते हुए स्वेच्छाचारी एवं मनमाना आचरण अपनाया जा रहा है तथा मा० न्यायालय में वाद योजित कर शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। महाविद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा महाविद्यालय में वित्तीय अनियमितता की शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी, संभल द्वारा करायी जा रही जांच एवं शासन द्वारा कराये जा रहे विशेष सम्प्रेक्षण जांच के विरुद्ध मा० न्यायालय में पृथक्-पृथक् वाद योजित किया गया है, जिससे महाविद्यालय प्रबंधतंत्र की कार्यशैली प्रथमदृष्ट्या संदिग्ध प्रतीत हो रही है।

9- प्रश्नगत प्रकरण में कुलपति, गुरु जम्भेश्वर वि० वि०, मुरादाबाद के उक्त पत्र दिनांक 24.05.2025 एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज के उक्त पत्र दिनांक 03.09.2025 व पत्र दिनांक 11.09.2025 द्वारा महाविद्यालय की प्रबंध समिति को भंगकर उ०प्र० विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-57 एवं 58 के अन्तर्गत महाविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने हेतु प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

10- अतः प्रश्नगत प्रकरण में उक्त उल्लिखित तथ्यों के आलोक में श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 57 में निहित व्यवस्था के अनुसार एस०एम० कालेज, चंदौसी, संभल के प्रबंध तंत्र को प्रथमदृष्ट्या दोषी पाते हुए इस आशय की नोटिस निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं कि महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा 1 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों न की जाय, श्री राज्यपाल प्रबन्धतंत्र एस०एम० कालेज, चंदौसी, संभल को यह आदेश देते हैं कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रमाणित सुसंगत साक्ष्यों एवं अभिलेखों सहित शासन को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त अवधि में प्रबन्धतंत्र का उत्तर शासन को प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि प्रबन्धतंत्र को इस विषय में कुछ नहीं कहना है और उनके विरुद्ध अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक यथोक्त

अध्यक्ष/सचिव,
प्रबंध समिति,
एस०एम० कालेज,
चंदौसी, संभल

द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।”

9. The petitioner-2 (Manager of College) submitted a reply to OM dated 30.10.2025 by letters dated 10.11.2025 and 15.11.2025. Relevant part of it are mentioned below :-

“Touching the merits based upon which notices have been issued, it would be submitted that since the name of the society was changed from Shyam Sundar Memorial College to Shyam Sundar Memorial College Society in the year 2008, therefore, the land which was of the society on which the institution was raised in the year 1946 was mutated by the permission of the Sub-Divisional Magistrate having been accorded in terms of Section 32/ 38 of the U.P. Revenue Code, 2005 on 10.01.2017. Now, the name of society was permitted to be mutated in the name of Shyam Sundar Memorial College Society as earlier point in time, name of the society was Shyam Sundar Memorial College only. For ready reference, order dated 10.01.2017 is being filed herewith and marked as **ANNEXURE NO.-D** to this letter.

The said order was further amended on 02.03.2017. Photo copy of the amended order as amended on 02.03.2017 is being filed herewith and marked as **ANNEXURE NO.-E**

In a Suo motto exercise of power, the Sub-Divisional Magistrate, Chandausi reviewed the order dated 10.01.2017 by the ex-party order dated 21.05.2025. Photo copy of the order dated 21.05.2025 is being filed herewith and marked as **ANNEXURE NO.-F** to this letter.

Aggrieved against the aforesaid, Revision No. 2724 of 2025, computerized no. R20251374002724 was filed, wherein interim orders were passed on 07.07.2025. Photo copy of the interim order dated 07.07.2025 passed in Revision No. 2724 of 2025 is

being filed herewith and marked as **ANNEXURE NO.-G** to this letter.

In view of the aforesaid fact, the order dated 10.01.2017 still stands on record and remains valid.

A factum stands to be recorded in the report which has been submitted by the District Magistrate, Sambhal based upon which notice dated 30.10.2025 has been sent that Shyam Sundar Memorial Law College, Chandausi has been raised in Gata No. 170 min jumla admeasuring 0.214 hectares. The said fact is wrong as from all four corners as the Shyam Sundar Memorial Law College, Chandausi has been raised in Gata No. 11 min jumla which has been given to the said institution on lease for thirty years by Shyamsunder Memorial College Society, Chandausi and in this regard, the undersigned would bring on record the information supplied by the Sub-Divisional Magistrate, Chandausi under Right to Information Act on 12.08.2025. Photo copy of the said report dated 12.08.2025 is being filed herewith and marked as **ANNEXURE NO.-H** to this letter.

In regard to the aforesaid, it would be submitted that based upon an incorrect report dated 02.04.2025 of the District Magistrate, Sambhal, notice dated 30.10.2025 came to be issued, therefore, the Secretary of Law College gave an application to the District Magistrate, Sambhal to rectify the mistake which has been made while giving the report dated 02.04.2025 by his letter dated 12.08.2025. Photo copy of the letter dated 12.08.2025 is being filed herewith and marked as **ANNEXURE NO.-I** to this letter.

Similar request has been made to the Commissioner, Moradabad on 12.08.2025 itself. Photo copy of the 12.08.2025 is being filed herewith and marked as **ANNEXURE NO.-J** to this letter.

The Chief Secretary, State of Uttar Pradesh has already been apprised with the fact that there exists mistake in the report of the District Magistrate, Sambhal which may be seen to be rectified. Photo copy of the said letter dated 12.08.2025 is being filed

herewith and marked as **ANNEXURE NO.-K** to this letter.

That in spite of the fact that due request has been made for rectification in the report dated 02.04.2025 prepared by the District Magistrate, Sambhal the request has fell in deaf ears as the District Magistrate, Sambhal has not rectified the same.

It is also to be brought to the notice of your esteemed self a factum that the report of the District Magistrate, Sambhal dated 02.04.2025 suggests the fact that land of Ahemdabad Kasora, District Moradabad admeasuring 02/0.41hectare, 71/0.259 hectare, 91/0.1132 has been sold by the society from transferring by the name of college to the society and thereafter having been sold to different persons. Fact would be that after change of name, the land, which was earlier in the name of Shyam Sundar Memorial College which was a society in the year 1926 has been mutated in the name of society as per order of Tehsildar Judicial, Bilari in vaad no. T-2017135415023669, dated 24-10-2017 by change of name, therefore, the said factum is also incorrectly recorded in the order. The said fact clearly applies to the land of Ballampur Tehsil also, therefore, the report in this regard of the District Magistrate, Sambhal dated 02.04.2025 is incorrect. Photo copy of Documentary proof is being filed herewith and marked as **ANNEXURE No. L** to this letter."

10. In aforesaid circumstances, on basis of earlier report, impugned Office Memorandum dated 14.01.2026 was passed by Special Secretary, Government of U.P. whereby Authorized Controller was appointed. For reference, relevant part of impugned Office Memo is quoted below :-

"13- इस प्रकार स्पष्ट है कि महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र द्वारा निरंतर शासकीय आदेशों की अवहेलना करते हुए स्वेच्छाचारी एवं मनमाना आचरण अपनाया गया तथा मा० न्यायालय में वाद योजित कर शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। महाविद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा महाविद्यालय में वित्तीय अनियमितता की शिकायत एवं भूमि संबंधी जांच के संबंध में शासन द्वारा कराये जा

रहे विशेष सम्प्रेक्षण जांच के विरुद्ध मा० न्यायालय में वाद योजित करते हुए विशेष सम्प्रेक्षण जांच कराये जाने से मना कर दिया गया, जबकि मा० न्यायालय द्वारा उक्त वाद में स्पेशल ऑडिट के विरुद्ध कोई स्थगनादेश पारित नहीं किया गया है।

इसी प्रकार महाविद्यालय प्रबंधतंत्र के विरुद्ध डॉ० प्रवीण कुमार द्वारा उ०प्र० पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग, लखनऊ में योजित वाद में मा० आयोग द्वारा 04 तिथियाँ सुनवाई हेतु निर्धारित की गयीं, परंतु महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र के सचिव/प्राचार्य कभी भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। जिसके कारण मा० आयोग द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-58 के अन्तर्गत महाविद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक नामित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

14- अतः उक्त उल्लिखित तथ्यों एवं महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के संबंध में निदेशक, उच्च शिक्षा के उक्त पत्र दिनांक **03.09.2025, 11.09.2025** तथा कुलपति, गुरु जम्भेश्वर वि०वि०, मुरादाबाद के उक्त पत्र दिनांक **24.05.2025** व उ०प्र० पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक **24.08.2025** द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सम्यक् परीक्षणोपरान्त राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि एस०एम० कालेज, चन्दौसी, संभल में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-58 (1) के अंतर्गत प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किये जाने की अपरिहार्य परिस्थितियों विद्यमान हैं।

15- उल्लेखनीय है कि उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा - 58 (1) के अन्तर्गत निम्नवत व्यवस्था निर्धारित है:-

“58. प्राधिकृत नियंत्रक (1) यदि राज्य सरकार का, धारा 57 के अधीन प्रबन्धतन्त्र द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण यदि कोई पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि उस धारा में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है तो वह आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को एतस्मिन् पश्चात 'प्राधिकृत नियंत्रक' के रूप में निर्दिष्ट दो वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए जिसे विनिर्दिष्ट किया जाये, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र का और प्रबन्धतन्त्र को पृथक् करते हुए उसकी सम्पत्ति का अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और जब कभी प्राधिकृत नियंत्रक इस प्रकार प्रबन्धतन्त्र का अधिग्रहण करता है तो उसे, केवल ऐसे प्रतिबन्धों के अध्यधीन, जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित कर सकेगी, उस महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र एवं उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उन सभी शक्तियों एवं प्राधिकार को प्राप्त करेगा जिसे प्रबन्धतन्त्र ने उस दशा में प्राप्त किया होता जब महाविद्यालय एवं उसकी सम्पत्ति को इस उपधारा के अधीन अधिग्रहीत न किया गया होता :

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि महाविद्यालय के समुचित प्रबन्धतन्त्र एवं उसकी सम्पत्ति को सुनिश्चित बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर उस अवधि के लिए, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, आदेश के प्रवर्तन को विस्तारित कर सकेगा जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, लेकिन इस प्रकार के आदेश के प्रवर्तन की अवधि जिसमें इस उपधारा के अधीन प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि को सम्मिलित किया गया है, ['पांच वर्ष'] से अधिक नहीं होगी :

परन्तु अग्रेतर यह कि यदि पांच वर्ष की उक्त अवधि के समाप्त होने पर, उस महाविद्यालय का कोई विधिपूर्ण ढंग से गठित किया गया प्रबन्धतन्त्र नहीं है तो प्राधिकृत नियंत्रक उस रूप में कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाये कि प्रबन्धतन्त्र का विधिपूर्ण ढंग से गठन किया गया है :

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, किसी भी समय, इस उपधारा के अधीन किये गये आदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगी।"

16- उपरोक्त प्रस्तर-14 में हुये समाधान के क्रम में एवं उक्त प्रस्तर-15 पर उल्लिखित विधिक प्रावधानों के आलोक में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-58 (1) के अंतर्गत श्री राज्यपाल एस०एम० कॉलेज, चंदौसी, संभल की प्रबन्ध समिति को भंग करते हुए आगामी 01 वर्ष अथवा किसी वैध प्रबंध समिति के गठित होकर अनुमोदित होने (जो भी पहले हो) तक छात्र हित, शिक्षा हित एवं महाविद्यालय हित में जिलाधिकारी, संभल को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाता है।

17- प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-58 (1) अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग कर दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा तथा महाविद्यालय में व्याप्त कमियों/अनियमितताओं को दूर किये जाने तथा महाविद्यालय में पठन पाठन के वातावरण हेतु प्रभावी प्रयास किया जायेगा। राज्य सरकार को धारा-58 (1) के अनुसार उक्त आदेश का प्रतिसंहरण/आदेश प्रयास किया जायेगा। राज्य सरकार को धारा-58 (1) के अनुसार उक्त आदेश का प्रतिसंहरण/आदेश को परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार होगा।"

11. Learned Senior Advocate for petitioners has submitted that after college concerned was affiliated with new University i.e. Guru Jambheshwar University, Moradabad, all problems have commenced. In systematic manner, respondents want to harass the Management of said college, who is taking care of considerable number of students. Due to their illegal acts, petitioner-College is not able to run law college. All activities were done only to ensure that Principal be allowed to join along with Professors who have faced disciplinary proceedings on very serious charges.

12. Learned Senior Advocate for petitioners has referred relevant provisions of U.P. State Universities Act as provided under Chapter X (Annual Reports and Accounts) as well as relevant provisions of Chapter XI (Regulations of Degree

College) which provide power of State Government to issue notice U/s 57 and power to appoint Authorized Controller U/s 58. For reference, Sections 56, 57 and 58 of Chapter XI (Regulations of Degree Colleges) of the Act are quoted below :-

“56. Definitions.—In this Chapter, unless the context otherwise requires—

(a) '*property*', in relation to an affiliated or associated college, includes all property, movable and immovable, belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the college, including lands, buildings (including hostels), works, library, laboratory, instruments, equipment, furniture, stationery, stores, automobiles and other vehicles, if any, and other things pertaining to the college, cash on hand, cash at bank, investments, and book debts and all other rights and interests arising out of such property as may be in the ownership, possession, power or control of the college and all books of account, registers, and all other documents of whatever nature relating thereto, and shall also be deemed to include all subsisting borrowings, liabilities and obligations of whatever kind of the college;

(b) '*salary*' means the aggregate of the emoluments including dearness or any other allowance for the time being payable to a teacher or other employee after making permissible deductions.

57. Power of the State Government to issue notice.—If the State Government receives information in respect of any affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government or a local authority)–

(i) that its Management has persistently committed wilful default in paying the salary of the teachers or other employees of the college by the twentieth day of the month next following the month in respect of which or any part of which it is payable; or

(ii) that its Management has failed to appoint teaching staff possessing such qualifications as are necessary for the purpose of ensuring the maintenance of academic standards in relation to the college or has appointed or retained in service any teacher in contravention of the Statute or Ordinances 1[or has failed to comply with the orders of the Director of Education (Higher Education) made on the basis of the recommendation of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission under the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980]; or

(iii) that any dispute with respect to the right claimed by different person to be lawful office-bearers of its Management has affected the smooth and orderly administration of the college; or

(iv) that its Management has persistently failed to provide the college with such adequate and proper accommodations, library, furniture, stationery, laboratory, equipment, and other facilities, as are necessary for efficient administration of the college; or

(v) that its Management has substantially diverted, misapplied or misappropriated the property of the college to the detriment of the college;

it may call upon the Management to show cause why an order under Section 58 should not be made :

Provided that where it is in dispute as to who are the office-bearers of the Management, such notice shall be issued to all persons claiming to be so.

58. Authorised Controller.—(1) If the State Government after considering the explanation, if any, submitted by the Management under Section 57 is satisfied that any ground mentioned in that section exists, it may, by order, authorise any person (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over, for such period not exceeding two years as may be specified, the Management of the college and its property to the exclusion of the

Management and whenever the Authorised Controller so takes over the Management, he shall, subject only to such restrictions as State Government may impose, have in relation to the Management of the college and its property all such powers and authority as the Management would have if the college and its property were not taken over under this sub-section:

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper Management of the colleges and its property, it may, from time to time, extend the operation of the order for such period, not exceeding one year at a time, as it may specify, so however, that the total period of operation of the order, including the period specified in the initial order under this sub-section does not exceed [five years]

²[Provided further that if at the expiration of the said period of five years, there is no lawfully constituted Management of the college the Authorised Controller shall continue to function as such, until the State Government is satisfied that the Management has been lawfully constituted:

Provided also that the State Government may, at any time, revoke an order made under this sub-section.]

(2) Where the State Government while issuing a notice under Section 57 is of opinion, for reasons to be recorded, that immediate action is necessary in the interest of the college, it may suspend the Management, which shall thereupon cease to function, and make such arrangement as it thinks proper for managing the affairs of the college and its property till further proceedings are completed:

Provided that no such order shall remain in force for more than six months from the date of actual taking over the Management in pursuance of such order:

Provided further that in computation of the said period of six months, the time during which the operation of the order was

suspended by any order of the High Court passed in exercise of jurisdiction under Article 226 of the Constitution or any period during which the Management failed to show cause in pursuance of the notice under Section 57, shall be excluded.

(3) Nothing in sub-section (1), shall be construed to confer on the Authorised Controller the power to transfer any immovable property belonging to college (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management or to create any charge thereon) except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the college from the State Government or the Government of India.

(4) Any order made under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or in any instrument relating to the Management and control of the college or its property:

Provided that the property of the college and any income therefrom shall continue to be applied for the purposes of the college as provided in any such instrument.

(5) The Director of Education (Higher Education) may give to the Authorised Controller such directions as he may deem necessary for the proper Management of the college or its property, and the Authorised Controller shall carry out those directions."

13. Learned Senior Advocate has submitted that State Government can be represented by Principal Secretary of concerned Department. Special Secretary has no power to issue notice under above referred provisions. In order to supersede Committee of Management or appoint Authorized Controller, there must be a satisfaction of State that Management has substantial diverted or misappropriated property of college and determination of college. However, since material documents were not produced, therefore, no

specific reply was filed against report or notices. Proceedings were conducted absolutely ex-parte under colourable exercise of power by the Executive, therefore, respondents have not acted in a fair manner.

14. Learned Senior Advocate for petitioners has made a reference to above referred letter dated 02.04.2025 authored by District Magistrate, Sambhal addressed to Vice Chancellor of University concerned wherein there was a reference that some land belongs to Shyam Sunder Memorial College, Chandausi was sold to different persons, however, there is an explanation to said transaction but no opportunity was granted to petitioners.

15. Learned Senior Advocate has further submitted that said inquiry report has warranted further deep investigation, however, respondents have followed said report in toto without applying independent mind as well as without considering that earlier audit was conducted on similar allegations but no financial irregularity was pointed out. A reference was made on an order dated 17.06.2025 passed by Director of Higher Education.

16. Per contra, Sri Sanjeev Singh, learned Additional Advocate General assisted by Sri Saurabh, learned Standing Counsel and S/Sri Prashant Mathur and G.K. Yadav, learned advocates for respondents have vehemently supported the impugned order that notice was issued by the State Government under the provisions of Section 57 of the Act, 1973 and Authorized Controller was appointed under provisions of Section 58 of said Act.

17. The petitioners have not cooperated during inquiry, they have not allowed the Audit team to conduct audit, they have stopped the team to enter into premises of college concerned which is an obstruction with working of State authorities under said Act.

18. The District Magistrate, Sambhal has submitted a report dated 02.04.2025 based on revenue records that without permission from appropriate Authority, ownership of chunk of land was changed from Shyam Sunder Memorial College, Chandausi to Shyam Sunder Memorial College Society, Chandausi and was sold to number of persons. Area of land in total was about 68 bighas (4.482 hectare). Property owned by the college concerned was illegally transferred to a Society viz. Shyam Sunder Memorial College Society, Chandausi and subsequently, sold out which is a reason to appoint an Authorized Controller. Section 57(v) of Act provides that if the Management has substantially diverted, misapplied or misappropriated college property to its detriment and failed to submit reasons for that on a show cause notice, Authorized Controller can be appointed.

19. Learned AAG has vehemently opposed the submissions of learned Senior Advocate for petitioners that State cannot be represented through Special Secretary of Government of U.P. He has further submitted that it is a case of absolutely non-cooperation from side of petitioners.

20. I have considered rival submissions and perused the records.

21. Petitioners are college of Shyam Sunder Memorial College Society, Chandausi and they have loggerhead with its employees and earlier also, various litigation have reached this Court. One of its litigation being Writ A No. 6959/2025 along with Writ A Nos. 856/2025 and 324/2026 were decided by this Court vide a judgment dated 11.02.2026 and for reference, relevant part of judgment is quoted below :-

"16. Heard learned counsel for the parties and perused the records.

17. So far as challenge to the order passed by Vice Chairman, U.P. State Commission for Backward Classes is concerned, Court is of the view that it was an order passed after taking note of orders of Registrar of Guru Jambheshwar University, whereby order of suspension and termination of respondent no.7 (Complainant) were already declared void-ab-initio, therefore, its effect would only be to comply said order.

18. Otherwise also, since relief was already granted to the complainant, therefore, order passed by Vice Chairman, U.P. State Commission for Backward Classes has no legal consequence except to comply it. Court also takes note of 2013:AHC-LKO:16800. However, as observed above, the order passed by the Vice Chairman, U.P. State Commission for Backward Classes has no legal consequence specifically who's grievance was already satisfied, there is no need to go into question of jurisdiction. Accordingly, Writ Petition 324 of 2026 is disposed of subject to outcome of Writ Petition No. 6959 of 2025, wherein order passed by Registrar of Guru Jambheshwar University, Moradabad so far as in regard to Complainant (Respondent No.7) is under challenge.

19. So far as other two writ petitions are concerned, it is not disputed by the learned Senior Counsel appearing on behalf of Committee of Management that presently Vice Chancellor through Registrar of Guru Jambheshwar University, Moradabad has jurisdiction to consider proposal of

termination of above referred three respondents.

20. It is not under dispute that Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act 2024 was published in the Official Gazettee on 13.8.2024, therefore, Guru Jambheshwar University, Moradabad came into existence on the same date, therefore, subsequent to it, Registrar, Rohilkhand University has no jurisdiction to pass any orders so far as disciplinary proceedings is concerned.

21. So far as delimitation is concerned, as it is a continuing process, therefore, for that subsequent notifications and orders were passed but petitioner's College was already affiliated to Guru Jambheshwar University, Moradabad.

22. Otherwise also, as on date undisputedly Vice Chancellor, through Registrar, Guru Jambheshwar University, Moradabad has a jurisdiction to pass order on the proposals of disciplinary proceedings conducted by petitioner's College against its teachers and non teaching staff.

23. In the aforesaid background, I have perused the inquiry report as well as proposal of Committee of Management also whether due procedure was followed or not.

24. Undisputedly, no second show cause notice was issued i.e. inquiry report along with show cause notice was never served on concerned delinquents, which is clearly evident from order of termination, therefore, principles of natural justice were not substantially complied with and accordingly due procedure was not followed, therefore, order of termination passed against all three private respondents were bad in law. Accordingly, there is no illegality in impugned orders, whereby such orders were considered void-ab-initio.

25. Court also takes note that today there is an order of single operation. The direction of the Registrar, Guru Jambheshwar University, Moradabad that during pendency of an inquiry against Committee of Management, no coercive actions be taken against student, non teaching staff or teaching staff is concerned, Court finds it is an order

having far reaching effect, therefore, in case proposed inquiry is not concluded within three weeks from today with co-operation of the petitioners, said part of order shall become inoperative, subject to outcome of inquiry in accordance with law.

26. Accordingly, all writ petitions are disposed of. "

22. It is not much disputed that petitioner-college is an affiliated college earlier with Ruhelkhand University and now with Guru Jambheshwar University, therefore, provisions provided under Chapter-XI (Regulations of Degree Colleges) of Act, 1973 would be completely applicable, therefore, there is no illegality when State has issued notice under powers granted U/s 59 of the Act.

23. As referred above, petitioners have avoided audit inspection and they have stopped the team to conduct audit and denied entry into college concerned and subsequently, a notice was issued to seek cause as to why not Authorized Controller be appointed U/s 58(1) of the Act, 1973. The petitioners have submitted a reply dated 15.11.2025 to aforesaid notice. Relevant part of reply is already extracted in preceding paragraphs that report dated 02.04.2025 submitted by the District Magistrate, Sambhal was factually incorrect as well as that they have not denied that certain part of land was sold to Society to further to private persons.

24. Aforesaid reply was considered by the State Government, however, it does not find to be reasonable explanation to queries raised, therefore, State proceeded to pass an order dated 14.01.2026 whereby Committee of Management was superseded and order was passed for appointment of

Authorized Controller, therefore, Court finds that there is no illegality in the impugned order so far as procedure adopted is concerned.

25. Now Court proceeds whether reply filed by petitioner was sufficient to explain queries raised specifically allegations of diversion and misappropriation of property of college concerned only on a ground that land was transferred to Society concerned and sold to other persons would itself not a sufficient explanation that property of college concerned was diverted legally in order sustain the college. The report submitted by District Magistrate dated 02.04.2025 also indicates that deep and further inquiry is required about act of society so that property of college may not be misappropriated further, therefore also, in order to maintain status quo as well as not to allow petitioners to further divert the land of college to private persons, order impugned was passed which was required and therefore it is justified also.

26. Order impugned provides that it is for the period of one year with a further direction that meanwhile, a fresh election be conducted.

27. Court further finds that impugned order has missed a further direction that a fresh and deep inquiry is necessary including audit inspection which was earlier not conducted as petitioners have stopped the team to enter in premises.

28. Therefore, without interfering with impugned order which is justified since procedure prescribed under Section 57 and 58 of the Act, 1973 was followed and admittedly, some

of properties of college were diverted as well as audit inspection was not allowed and writ petition is **disposed of** with a direction that within two months, an audit inspection shall be conducted and petitioners may be provided an opportunity to explain under what circumstances, they have sold land to private respondents and subsequently within four months, impugned order shall be reviewed so much as that whether it be withdrawn or extended.

(SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.)

March 18, 2026

<N. Sinha>